कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय

श्रम मंत्रालय (भारत सरकार)

नामकुम, राँची :- 834010

दूरभाष /फैक्स :- (0651)- 2260136,9386368563

ई-मेल-smo-jh@esic.in

शुद्धिपत्र/CORRIGENDUM

झारखंड प्रदेश के निम्नलिखित जिलों (विशेषकर जिला मुख्यालय) में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं (निदानिक और चिकित्सा सम्बंधी) के लिए टाई- अप हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, नामकुम राँची द्वारा निजी/सरकारी/ख्याति प्राप्त अस्पतालों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

क्र.स.	जिला मुख्यालय	क्र.स.	जिला मुख्यालय	क्र.स.	जिला मुख्यालय
1.	दुमका	6.	लातेहार	11.	गुमला
2.	गोड्डा	7.	चतरा	12.	सिमडेगा
3.	जामताड़ा	8.	गढ़वा	13.	पूर्वी सिंहभूम
4.	चाईबासा (पशिमी सिंहभूम)	9.	पलामू	14.	लोहरदग्गा
5.	खूंटी	10.	हजारीबाग	15.	पाकुड़

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 21 जुलाई 2018

नियम और शर्तें :

1. भर्ती होनेवाले मरीजों (Indoor Treatment) के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(CGHS), रांची (वर्तमान/ तात्कालिक दर) नियम और शर्तों के आधार पर या टाई-उप होनेवाले अस्पताल का दर, दोनों में जो कम हो मान्य होगा।OUTDOOR(बाह्य रोगी विभाग) में ईलाज(Consultation, Investigation and Treatment) होनेवाले मरीजों के लिए रु.450.00(चार सौ पचास मात्र) प्रति मरीज देय होगा।
2. अस्पतालों / संस्थाओं को सभी सांविधिक/कानूनी अनुमति व पंजीकरण सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होना चाहिए (आवेदन के साथ अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) । विशिष्ट सूची के लिए अस्पताल के पास अधिमान्तः 50 बिस्तर (preferably 50 beds) होना चाहिए ।
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैकेज दर अनुलग्नक । (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की नई दरों के लिए www.mohfw.nic.in देखें।
4. दवा/ चिकित्सा/प्रक्रिया/उपकरणों पर प्रतिपूर्ति इस प्रकार है :-
   अ. यदि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(CGHS) के अधीन कोई पैकेज प्रक्रिया नही है , तो अन्य **Major** या **Minor** मद(**head**) पर ईलाज के लिए भुगतान होगा।
   ब. शल्य चिकित्सीय उपकरणों आदि के लिये अधिकतम खुदरा कीमत पर 15% की कटौती की जाएगी ।
   स. दवाएं, जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम पैकेज/प्रक्रिया में उपलब्ध नही है, उन दावों के विपत्रो पर अधिकतम खुदरा कीमत का 10% की कटौती की जाएगी ।
5. जो मरीज टाइ-अप अस्पतालों में भर्ती होगें , उनके लिये टाइ-अप अस्पताल, सी.जी.एच.एस.(**CGHS**) के अनुमोदित दर (यदि उपलब्ध है) पर शुल्क का दावा करेंगे, जिसके लिए अस्पतालों को टाइ-अप किया जाएगा । टाई-उप अस्पताल सिर्फ **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** द्वारा भेजे गए (referred) मरीजों का ही ईलाज करेंगे।
6. **आकस्मिक भर्ती** की स्थिति में उन **मरीजों का सत्यापन 24 घंटो के अंदर** राज्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा! वेसे मरीजों के लिए प्रतिपूर्ति अस्पताल को उन मरीजों का सत्यापन होने के बाद ही देय होगा ।
7. आवेदन में शपथ पत्र देना होगा कि अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दरों के सम्बंध में नियम एवं शर्तों को मानने हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं ।
8. अधिक जानकारी के लिए **राज्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,** नामकुम , रांची से सम्पर्क करें ।
9. उपरोक्त प्रस्तावित विज्ञापन को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताये अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक द्वारा रद्द किया जा सकता है।
10. अस्पतालों से प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटिनी के बाद अस्पतालों का भौतिक सत्यापन, संबंधित गठित समिति द्वारा किया जाएगा और समिति के सिफारिशों के आधार पर अस्पतालों के साथ टाई-उप किया जाएगा।

ह./-

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक